भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 636
उत्तर देने की तारीख : 22.07.2026

रायचूर में अल्पसंख्यक-बहुल क्षेत्र विकास

636. श्री जी. कुमार नायक:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पीएमजेवीके के अंतर्गत रायचूर ज़िले में चिह्नित किए गए अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक, कस्बों और वार्डों का ब्यौरा क्या है और उनके चयन के सामाजिक-आर्थिक और अवसंरचनात्मक सुविधाओं के मानदंड़ क्या है;

(ख) रायचूर के ऐसे अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में माध्यमिक स्कूलों, पीएचसी, पाइपकृत पेयजल, घरों में शौचालय, पक्की सड़कों और सड़क की लाइटिंग की सुविधा की वार्डवार/तालुकवार स्थिति क्या है;

(ग) 2018 से अब तक रायचूर के लिए स्वीकृत की गई पीएमजेवीके परियोजनाओं, अधूरी परियोजनाओं और बंद की गई या छोड़ दी गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, साथ ही इसके क्या कारण हैं;

(घ) साक्षरता, महिला साक्षरता, स्कूल छोड़ने की दर, बेरोज़गारी और आवास की कमी के मामलों में रायचूर के अल्पसंख्यक-बहुल क्षेत्रों की ज़िले के औसत के साथ तुलनात्मक स्थिति क्या है; और

(ङ) रायचूर के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में इन कमियों को दूर करने के लिए आगामी तीन वर्षों में प्रस्तावित विशेष उपायों का ब्यौरा क्या है, साथ ही इसकी समय-सीमा और बजट आवंटन कितना है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग): प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम एक केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है, जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। जिसका उद्देश्य देश के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य, कौशल विकास, शिक्षा, महिला-केंद्रित परियोजनाओं, पेयजल एवं स्वच्छता, खेल, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, पशुपालन तथा अन्य सामुदायिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में सामुदायिक अवसंरचना का सृजन करना है।

संशोधित पीएमजेवीके (PMJVK) दिशानिर्देशों के अनुसार, इस योजना का कार्यान्वयन देश के सभी जिलों में किया जा रहा है। संशोधित दिशानिर्देशों के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ऐसे चिन्हित क्षेत्रों में अवसंरचना परियोजनाओं के प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं, जहाँ 15 किलोमीटर के दायरे में कुल आबादी में से अल्पसंख्यक जनसंख्या 25 प्रतिशत से अधिक हो।

पीएमजेवीके (PMJVK) एक मांग-आधारित योजना है। इस योजना के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर परियोजनाओं पर विचार तथा अनुमोदन प्रदान किया जाता है। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना प्रस्ताव तैयार करते समय संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा परियोजना स्थलों, जिनमें अल्पसंख्यक-बहुल ब्लॉक, नगर, वार्ड तथा ग्राम शामिल हैं, की पहचान तथा स्थानीय अवसंरचना संबंधी कमियों एवं सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं का आकलन किया जाता है।

तदनुसार, पीएमजेवीके (PMJVK) के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा रायचूर जिले में अल्पसंख्यक-बहुल ब्लॉक, नगरों अथवा वार्डों की कोई पृथक सूची अथवा माध्यमिक विद्यालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी), पाइपयुक्त पेयजल, घरेलू शौचालयों, पक्की सड़कों तथा पथ प्रकाश (स्ट्रीट लाइटिंग) जैसी सामाजिक-आर्थिक एवं बुनियादी सुविधाओं से संबंधित वार्ड/तालुक-वार आंकड़े केंद्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। वर्ष 2018 से कर्नाटक के रायचूर जिले के लिए पीएमजेवीके के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं तथा उनके कार्यान्वयन की स्थिति का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(घ) एवं (ङ): योजना के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं का कार्यान्वयन, निष्पादन, संचालन तथा अनुरक्षण संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। तदनुसार, मंत्रालय द्वारा साक्षरता, महिला साक्षरता, विद्यालय छोड़ने की दर, बेरोजगारी तथा आवासीय वंचना जैसे मानकों पर अन्य जिलों के औसत की तुलना में रायचूर जिले के अल्पसंख्यक-बहुल क्षेत्रों की स्थिति संबंधी जिला-विशिष्ट आंकड़े न तो अनुरक्षित किए जाते हैं और न ही संकलित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, रायचूर के अल्पसंख्यक-बहुल क्षेत्रों में ऐसी कमियों को दूर करने के लिए आगामी तीन वर्षों के दौरान प्रस्तावित राज्य-विशिष्ट कार्यक्रमों, जिनमें उनकी समय-सीमा तथा बजटीय आवंटन भी शामिल हैं, संबंधी सूचना भी मंत्रालय द्वारा संधारित नहीं की जाती है।

चूंकि अनुमोदित परियोजनाओं का निष्पादन, संचालन तथा अनुरक्षण संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है, अतः मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कोई आंकड़े संकलित नहीं किए जाते हैं।

अनुबंध-I

'रायचूर में अल्पसंख्यक-बहुल क्षेत्र विकास' विषय पर श्री जी. कुमार नायक द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 22.07.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 636 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में संदर्भित अनुबंध

पीएमजेवीके (PMJVK) के अंतर्गत वर्ष 2018 से कर्नाटक के रायचूर जिले के लिए अनुमोदित परियोजनाओं की स्थिति

(लाख रूपए में)

परियोजना का नाम	अनुमोदित इकाइयों की संख्या	अनुमोदन का वर्ष	कुल अनुमोदित लागत	अनुमोदित केंद्रीय अंश	पूर्ण की गई इकाइयों की संख्या	निर्माणाधीन इकाइयों की संख्या
विद्यालयों में स्मार्ट कक्षा/कंप्यूटर प्रयोगशाला/शिक्षण सहायक सामग्री	13	2018-19	45.37	27.22	13	-
सामुदायिक सेवा केंद्र/सद्भाव मंडप/सामुदायिक भवन	1	2019-20	140	84	1	-
विद्यालय भवन	4	2019-20	940	564	4	-
आंगनवाड़ी केंद्र	3	2020-21	22.5	13.5	3	-
आवासीय विद्यालय	4	2023-24 2024-25	4380	2628	-	4
कुल योग	**25**		**5527.87**	**3316.72**	**21**	**4**
